

धुधुखान सौड मोटर मार्ग एवं देवीपुरा सौड मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग मोटर मार्ग में प्रभावित
0-10 तथा 10-20 व्यास श्रेणी के वृक्षों का प्रत्यारोपण हेतु प्रति पौध दर

प्रत्यारोपण स्थल का नाम- वन पंचायत सौड में

1	प्रत्यारोपित किये जाने वाले वृक्ष की जड़ों को चारों तरफ से लगभग 2.00 मी. गहराई तक खोदना		
	$\pi r^2 h - 22/7 \times (0.90)^2 \times 2.00 = 5.09$		
	$(-) 22/7 (0.15)^2 \times 2.00 = 0.14$		
	= 4.95 cum	@ 165/	816.75
2	उक्त वृक्षों का उखाड़कर प्रत्यारोपित स्थल तक सुरक्षित ले जाना Approximate 30 किमी. वाहन		
	1 st 1x45 = 45.00		
	2-3 2x8 50 = 17.00		
	4-5 2x6 50 = 13.00		
	6-10 5x5 70 = 28.50		
	11-20 10x4 40 = 44.00		
	21-30 10x3 50 = 35.00		
	= 182.50 M.T.		
	Or 18.50 Qtl		
	40 % वृद्धि - 25.90 Qtl	25.90	
	(ii)- Head Load Approximate 2 kmto for foot Tracks 48.20 का 40 % अतिरिक्त - 67.50 /Qtl/0.50 Kmt. 270.00	270.00	
		295.90	295.90
3	प्रत्यारोपण हेतु गड्ढा खुदान कार्य		
	$\pi r^2 h - 22/7 \times (0.45)^2 \times 2.00 = 1.272 \text{ cum}$	@ 165/	209.88
4	वृक्ष का प्रत्यारोपण कार्य	LS	50.00
5	रस्सी तथा अन्य आवश्यक सामग्री कय	LS	100.00
6	डैक्लूमेन्टेशन / प्रशासनिक / व्यय	LS	200.00
			1672.53
	OR		1700.00 प्रति वृक्ष
	16 वृक्षों के प्रत्यारोपण पर 1700.00 प्रति वृक्ष की दर से रु 27200.00		27200.00

30/11/20
SACNTU

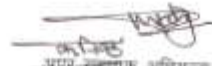
30/11/20
वन क्षेत्राधिकारी
कोसी शक्ति

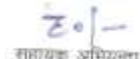
प्रशासनिक अधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

0 से 10 एवं 10 से 20 सेमी व्यास के वृक्षों को अन्य स्थान पर रोपित किये जाने का प्रमाण - पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद मैनीताल में घूघूखान सौंड एवं देवीपुरा सौंड मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक का निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि 0 से 10 एवं 10 से 20 सेमी व्यास के वृक्षों का पातन न करने एवं उन्हें जड़ से उखाड़ कर वन विभाग द्वारा छयनित की गई भूमि पर रोपित किये जाने हेतु वन विभाग द्वारा जो भी धनराशि निर्धारित की जायेगी, उसे वन विभाग के पक्ष में जमा कर दिया जायेगा।


उप-सहायक अभियन्ता
प्रादेशीक, लोअर डिप्टी
मैनीताल


सहायक अभियन्ता
प्रादेशीक, लोअर डिप्टी
मैनीताल


अधिसूचक अभियन्ता
प्रादेशीक, लोअर डिप्टी
मैनीताल

